मतगणना अभिकर्ताओं के लिए पुस्तिका

फरवरी 2019

दस्तावेज सं. 23 संस्करण-1

भारत निर्वाचन आयोग

<u>विषय सूची</u>

पैरा सं.		पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	
2	मतगणना अभिकर्ताओं की भूमिका	
3	निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी	
4	मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति अर्हता .... प्रति अभ्यर्थी मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या.. मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति... नियुक्ति के लिए समय-सीमा... नियुक्ति का प्रतिसंहरण...	
5	मतगणना हॉल के भीतर मतगणना अभिकर्ता	
6	मतगणना मेजों की बेरिकेडिंग के लिए इंतजाम	
7	गोपनीयता बनाए रखना	
8	मतगणना कार्मिकों का यादृच्छिकीकरण	
9	डाक मतपत्रों की गणना (क) सेवा मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्रों (ईटीपीवी) की गणना (ख) डाक मतपत्रों की गणना	
10	मतदान केंद्रों में डाले गए मतों की गणना	
11	परिणाम अभिनिश्चित करना	
12	मतों की मतगणना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के खराब हो जाने पर की जाने वाली कार्रवाई	
13	प्ररूप 17ग के 'भाग-II - मतगणना के परिणाम' का पूरा होना	
14	यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर स्लिपों का अनिवार्य सत्यापन	
15	अंतिम परिणाम पत्र की तैयारी	
16	पुनर्गणना	
17	नए सिरे से मतदान की दशा में मतगणना का स्थगन	
18	मतगणना के पश्चात् वोटिंग मशीनों को पुनः सीलबंद करना	
परिशिष्ट I	मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति	
परिशिष्ट II	मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति का प्रतिसंहरण	
परिशिष्ट III	प्रपत्र 17ग	
	भाग-II	

1. प्रस्तावना

1.1 मतगणना, निर्वाचन प्रक्रिया में अंतिम महत्वपूर्ण कदम है। सही एवं समुचित मतगणना से ही निर्वाचक की सच्ची पसंद अभिव्यक्त होती है। इसलिए, मतगणना की प्रक्रिया के महत्व के बारे में बहुत अधिक कहने की जरूरत नहीं है।

2. मतगणना अभिकर्ताओं की भूमिका

2.1 विधि के अधीन मतगणना, अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर द्वारा या उसके अधीक्षण एवं निदेशन में की जानी होती है। विधि में सहायक रिटर्निंग आफिसर को भी मतगणना कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है। मतगणना एक साथ एक से अधिक स्थानों पर और एक ही स्थान पर एक से अधिक मेजों पर की जा सकती है। चूंकि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह ऐसे प्रत्येक मतगणना स्थान और मेज पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहें, इसलिए विधि में अभ्यर्थी को मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी गई है, जो उक्त मतगणना स्थानों एवं मतगणना मेजों में से प्रत्येक पर उपस्थित हो सकता है और उसके हितों को देख सकता है। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि होने के नाते, मतगणना अभिकर्ताओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है और इस महत्वपूर्ण कार्य में उनके सहयोग से मतगणना पर्यवेक्षकों और मतगणना सहायकों का कार्य आसान हो जाएगा।

2.2 मतगणना अभिकर्ता को ईवीएम युक्त वीवीपीएटी द्वारा निर्वाचनों के संचालन के लिए विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के बारे में नवीनतम स्थिति से स्वयं को पूरी तरह अवगत रखना चाहिए। मतगणना अभिकर्ताओं को वीवीपीएटी युक्त ईवीएम के प्रचालन से भी स्वयं को परिचित कराना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, मतगणना अभिकर्ताओं को रिटर्निंग आफिसर द्वारा इंतजाम की गई ईवीएम और वीवीपीएटी के प्रदर्शनों में भाग लेना चाहिए जहां ईवीएम और वीवीपीएटी को प्रदर्शित किया जाएगा और उसके बाद इनकी कार्य पद्धति एवं प्रचालन को स्पष्ट किया जाएगा।

3. निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी

3.1 भारत में निर्वाचन, वीवीपीएटी युक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग करके संचालित किए जाते हैं। ये ईवीएम और वीवीपीएटी केंद्रीय सरकार के दो उपक्रमों अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा विनिर्मित की गई हैं। ईवीएम का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि पारंपरिक प्रणाली, जिसके अधीन मतपत्र एवं मतपेटियों का प्रयोग किया जाता था, की सभी मुख्य विशेषताओं को अक्षुण्ण रखा जा सके।

3.2 ईवीएम के दो मॉडल हैं: एम2 मॉडल और एम3 मॉडल। वीवीपीएटी के दो मॉडल हैं- एक वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (वीएसडीओ) के साथ और दूसरा वीएसडीयू बिना। वीएसडीयू के बगैर वीवीपीएटी का प्रयोग एम3 मॉडल ईवीएम के साथ किया जाता है।

3.3 ईवीएम 7.5 वोल्ट की क्षारीय बैटरी पर प्रचालित होती है और इसे कहीं भी और किसी भी स्थिति में प्रयोग में लाया जा सकता है। यह टेम्पर-प्रूफ त्रुटि-मुक्त एवं प्रचालन में आसान होती है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन दो यूनिटों अर्थात कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट से मिलकर बनती है। मशीन की दोनों यूनिटों की आपूर्ति पृथक वहन बक्सों में की जाती है। मशीन में एक बार मतदान संबंधी सूचना रिकॉर्ड हो जाने के बाद, यह इसकी मेमोरी में बैटरी को हटा लेने के बाद भी बनी रहती है।

3.4 निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम 49क के परंतुक के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित डिजाइन का ड्राप बाक्स युक्त प्रिंटर भी निर्वाचन आयोग द्वारा यथानिदेशित निर्वाचन क्षेत्र अथवा निर्वाचन क्षेत्रों अथवा उनके भागों में मत की पेपर ट्रेल की प्रिंटिंग हेतु मतदान मशीन के साथ लगाया जाए । इसे वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) कहा जाता है। आयोग ने सभी निर्वाचनों में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी मतदान कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट के साथ-साथ वीवीपीएटी रखता है; इस वीवीपएटी को ईवीएम से आयोग द्वारा यथानिदेशित पद्धति में जोडा जाएगा। इस प्रयोजन हेतु, मतदान कंपार्टमेंट में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जाती है। वीवीपएटी में, बैलेट यूनिट पर बैलेटिंग बटन को दबाने पर, निर्वाचक, प्रिंटेड पेपर स्लिप देख सकेगा जिसमें उस अभ्यर्थी की क्रम संख्या, नाम और प्रतीक दिखाई देगा जिसको उसने मत दिया है। यह पेपर स्लिप कटने से पहले और वीवीपीएटी के साथ जुडे ड्राप बाक्स में गिरने से पहले वीवीपीएटी की पारदर्शी विंडो पर सात सैकंड तक दिखाई देगी। वीवीपीएटी 22.5- वोल्ट बैटरी से संचालित होती है। वीवीपीएटी की प्रिंटिंग हेतु इसमें प्रयुक्त थर्मल पेपर केवल लगभग 1500 पेपर स्लिप प्रिंट कर सकता है, जिनमें से लगभग 100 पेपर स्लिप/मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर वीवीपीएटी की स्थापना करने और छद्‌म मतदान के दौरान प्रिंट हो जाती है। इस प्रकार किसी एक मतदान केन्द्र में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या 1400 होती है।

3.5 जो निर्वाचक किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देना चाहते हैं, वे अपने निर्णय की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतपत्र पर अंतिम अभ्यर्थी के नाम एवं विवरणों वाले पैनल के बाद **"इसमें से कोई नहीं नोटा"** शब्दों के साथ एक बैलट पैनल उपलब्ध है।

3.6 एक बैलट यूनिट में अधिकतम सोलह अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 15 है, तो अंतिम पैनल **'इनमें से कोई नहीं (नोटा)** होगा; किंतु यदि 16 अभ्यर्थी हैं, तो नोटा के लिए एक अतिरिक्त बैलट यूनिट होगी। ''इनमें से कोई नहीं'' (नोटा) विकल्प का प्रावधान निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों में से किसी को भी मत नहीं देने के निर्णय की अभिव्यक्ति के लिए एक सुविधा है। बैलट यूनिट पर मतपत्र के प्रदर्शन का प्रावधान है जिन पर निर्वाचन संबंधी ब्यौरे, लड़ रहे अभ्यर्थियों के नाम, क्रम संख्या एवं फोटो और उन्हें क्रमश: आबंटित प्रतीक होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने और नोटा के लिए, एक नीले रंग का एक बटन है जिसे दबाकर मतदाता अपना मत डाल सकता है। उक्त बटन के साथ-साथ, प्रत्येक के लिए एक लैम्प भी है जो तब लाल प्रदीप्त होता है, जब उक्त बटन को दबाकर मत रिकार्ड किया जाता है।

3.7 एम2 ईवीएम में अधिकतम 63 अभ्यर्थियों तथा एम3 ईवीएम में 383 अभ्यर्थियों द्वारा डाले गए मतों को एक कंट्रोल यूनिट से रिकाई किया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ एक साथ जुड़ी हुई चार बैलट यूनिटों को एम2 ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट से जोडा जाता है तथा एक साथ जुडी हुई चौबीस बैलट यूनिटों को एम3 ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट से जोडा जाता है। कंट्रोल यूनिट के सबसे ऊपरी भाग पर मशीन में रिकार्ड विभिन्न सूचना एवं आंकड़ा, यथा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या को प्रदर्शित करने की व्यवस्था होती है। यह भाग आसान संदर्भ के लिए कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले सेक्शन कहा जाता है। डिस्प्ले सेक्शन के नीचे, बैटरी, जिस पर मशीन चलती है, को लगाने के लिए कोष्ठ होता है। इस कोष्ठ की दाईं तरफ एक दूसरा कोष्ठ होता है जिसमें निर्वाचन विशेष में लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या और नोटा के पैनल के लिए मशीन को सेट करने हेतु एक बटन होता है। यह बटन 'कैंडिडेट सेट' कहा जाता है और इन दो कोष्ठों से मिलकर बने कंट्रोल यूनिट का संपूर्ण भाग 'कैंडिडेट सेट सेक्शन' कहलाता है। कैंडिडेट सेट सेक्शन के नीचे 'कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट सेक्शन' होता है। इस सेक्शन में (i) मतदान को समाप्त करने के लिए बाईं तरफ 'क्लोज' बटन, (ii) बीच में दो बटन 'रिजल्ट एवं प्रिंट' होते है। मतदानों के परिणाम अभिनिश्चित करने के लिए 'रिजल्ट' बटन होता है। प्रिंट बटन विस्तृत परिणाम का प्रिंट आउट लेने के प्रयोजनार्थ है। इस प्रयोजन के लिए कंट्रोल यूनिट के साथ एक विशेष गैजट जुड़ा होना चाहिए और मशीन में दर्ज आंकड़े को हटाने, जब अपेक्षित हो, के लिए 'क्लियर' बटन होता है। कंट्रोल बटन के निचले भाग में दो बटन होते हैं - एक, बैलट चिह्नित होता है, और दूसरा 'टोटल' चिह्नित होता है। बैलट बटन दबाने से बैलट यूनिट मत रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाता है और 'टोटल' बटन दबाने से उस समय तक रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या

अभिनिश्चित की जा सकती है परंतु अभ्यर्थी-वार प्राप्त मतों की संख्या के बगैर यह सेक्शन कंट्रोल यूनिट के 'बैलट सेक्शन' के रूप में जाना जाता है।

3.8 मशीन, विशेषकर 'बैलट यूनिट' का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वर्तमान मतदान प्रणाली की सभी आवश्यक विशेषताओं को अक्षुण्ण रखा जा सके। केवल एक परिवर्तन यह है कि मतदाता से एरो क्रॉस चिह्न के स्टाम्प के प्रयोग, जो अपनी पसंद के प्रतीक पर या उसके पास मत पत्र पर लगाया जाता है, के बजाए अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक या 'नोटा' के पैनल के सामने प्रदान किए गए ब्लू बटन को दबाया जाना अपेक्षित होता है। वोटिंग मशीन द्वारा मतदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल, त्वरित एवं त्रुटि रहित है। प्रत्येक मत सही रूप से रिकॉर्ड होता है और कोई मत अमान्य नहीं होता है।

4. मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति

अर्हता

4.1 विधि में मतगणना अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई विशिष्ट अर्हताएं विहित नहीं की गई हैं। तथापि, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परिपक्व व्यक्तियों, जो 18 वर्ष से अधिक की आयु के हों, को अपने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करें ताकि उनके हितों का समुचित रूप से ध्यान रखा जा सके।

4.2 चूंकि सुरक्षा कार्मिकों को भारत निर्वाचन आयोग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी वर्तमान मंत्री, वर्तमान संसद सदस्य, वर्तमान विधान सभा/विधान परिषद सदस्य या राष्ट्र (केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार) द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा कवच वाले किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचन के दौरान किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या मतगणना कर्मियों के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, सुरक्षा कवच वाले किसी व्यक्ति को निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी को ऐसे अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सुरक्षा कवच को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह अपने सुरक्षा कार्मिकों के साथ मतगणना हॉल में प्रवेश नहीं कर सकता है; बिना सुरक्षा कवच के हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देकर उसकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता है।

4.3 सरकारी सेवक भी किसी अभ्यर्थी के मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134-क)। यदि वह ऐसा कृत्य करता है, तो वह ऐसी अवधि, जो 3 माह तक विस्तारित हो सकती है, के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय है।

प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या

4.4 प्रत्येक अभ्यर्थी को मतगणना मेजों की संख्या के बराबर संख्या में मतगणना अभिकर्ता और रिटर्निंग आफिसर की मेज पर मतगणना पर निगरानी रखने के लिए एक और अभिकर्ता को नियुक्त करने की अनुमति दी गई है। निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अधीन एक हॉल में मतगणना के लिए, रिटर्निंग आफिसर हेतु एक मेज के अतिरिक्त चौदह से अधिक मेजें प्रदान नहीं की जा सकती हैं। इस प्रकार मतगणना अभिकर्ताओं, जो अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे, की अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि मतगणना मेजों की संख्या भी सामान्यत: रिटर्निंग आफिसर की मेज सहित 15 से अधिक नहीं होती है।

4.5 तथापि, आयोग, साधारण या विशेष निदेश द्वारा रिटर्निंग आफिसर को 15 से अधिक मेजें प्रदान करने की अनुमति दे सकता है। उस स्थिति में, अभ्यर्थियों को 15 से अधिक और रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रदान की गई मतगणना मेजों की संख्या के बराबर अभिकर्ताओं को नियुक्त करने की भी अनुमति दी जाएगी।

4.6 विधि के अधीन, रिटर्निंग आफिसर मतदान के लिए नियत तारीख से कम-से-कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को स्थान, जहां मतगणना की जाएगी और तारीख एवं समय, जब मतगणना प्रारंभ हागी, की सूचना लिखित में देगा। वह मतगणना हॉल में प्रदान की जाने वाली मतगणना मेजों की संख्या के बारे में काफी अग्रिम रूप से उन्हें सूचित भी करेगा ताकि वे तदनुसार अपने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकें।

4.7 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, मतगणना सामान्यतया एक ही स्थान पर होगी। तथापि, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए, मतगणना विभिन्न स्थानों पर हो सकेगी। मतगणना अभिकर्ताओं की अधिकतम संख्या के बारे में उपर्युक्त सीमा ऐसे प्रत्येक मतगणना स्थान के बारे में पृथक रूप से लागू होगी, जब मतगणना एक से अधिक स्थानों पर की जाती है।

4.8 लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों की दशा में, मतगणना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खंड-वार साथ-साथ की जाएगी। ऐसी स्थिति में, संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचनों के लिए अभ्यर्थियों को पृथक रूप से अपने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी।

मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति करना

4.9 मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जानी होती है। ऐसी नियुक्ति निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्ररूप 18 **(परिशिष्ट 1)** में की जाती है। मतदान अभिकर्ता का नाम एवं पता उस प्ररूप में भरा जाएगा तथा अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उस प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा। मतगणना

अभिकर्ता भी नियुक्ति को स्वीकार किए जाने के संकेत के रूप में उस प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा। सभी मामलों में, अभिकर्ताओं के फोटो के साथ ऐसे प्ररूपों की दो प्रतियां तैयार की जाएंगी एवं हस्ताक्षरित की जाएंगी, उस प्ररूप की एक प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग आफिसर को अग्रेषित की जानी होती है, जबकि दूसरी प्रति रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए मतगणना अभिकर्ता को दी जाती है।

4.10 कोई भी अभ्यर्थी प्ररूप 18 में एकल नियुक्ति पत्र द्वारा अपने सभी मतगणना अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकेगा। उस दशा में, सभी मतगणना अभिकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे नियुक्ति को स्वीकार किए जाने के संकेत के रूप में नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करें।

4.11 नियुक्ति प्ररूप में अभ्यर्थी के अनुकृति हस्ताक्षर को भी स्वीकार किया जाता है, यदि हस्ताक्षर के बारे में कोई संदेह नहीं हो।

नियुक्ति के लिए समय-सीमा

4.12 निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में, चाहे निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या कुछ भी हो, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतगणना के लिए नियत तारीख के तीन दिवस पूर्व अधिकतम 17.00 बजे तक रिटर्निंग आफिसर को ऐसे अभिकर्ताओं के फोटो सहित सूचियां प्रस्तुत करनी चाहिए। रिटर्निंग आफिसर ऐसे प्रत्येक अभिकर्ता के लिए पहचान पत्र तैयार करेगा और इसे अभ्यर्थी को जारी करेगा।

4.13 मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना में भाग लेने के लिए आने के समय अपने नियुक्ति पत्र के साथ उन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना चाहिए।

4.14 मतगणना अभिकर्ताओं के पहचान पत्र के साथ नियुक्ति पत्र को मतगणना के लिए नियत समय से कम से कम एक घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रिटर्निंग आफिसर यथोक्त समय के बाद प्राप्त नियुक्ति पत्र को स्वीकार नहीं करेगा।

नियुक्ति का प्रतिसंहरण

4.15 अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण करने के लिए प्राधिकृत है।

4.16 नियुक्ति का ऐसा प्रतिसंहरण निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्ररूप 19 (परिशिष्ट II) में किया जाता है और यह उस समय लागू हो जाता है जब यह रिटर्निंग आफिसर के पास दाखिल किया जाता है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थी किसी ऐसे मतगणना अभिकर्ता, जिसकी नियुक्ति का प्रतिसंहरण किया गया है, के स्थान पर दूसरे मतगणना अभिकर्ता को मतगणना प्रारंभ होने से पहले किसी भी समय नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। मतगणना प्रारंभ हो जाने के बाद, किसी नए मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

4.17 ऐसे नए मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति उपर पैरा 7 में यथा स्पष्ट रीति में की जानी होती है।

5. मतगणना हॉल के भीतर मतगणना अभिकर्ता

5.1 रिटर्निंग आफिसर के समक्ष नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद, मतगणना अभिकर्ता से रिटर्निंग आफिसर के समक्ष मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के बारे में उसके नियुक्ति पत्र में अंतर्विष्ट घोषणा पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा। नियुक्ति पत्र/पहचान पत्र और घोषणा के सत्यापन के बाद रिटर्निंग आफिसर मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देगा।

5.2 रिटर्निंग आफिसर किसी भी मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने से पहले उसे व्यक्तिगत तलाशी के अध्यधीन करने के लिए अधिकृत है।

5.3 प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग आफिसर द्वारा एक बैज दिया जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वह किसका अभिकर्ता है और उस मेज की क्रम संख्या भी दर्शायी जाएगी, जिस पर वह मतगणना पर नजर रखेगा। उसे आबंटित मेज पर बैठा रहना चाहिए। उसे पूरे हॉल में चलने-फिरने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसकी अनुपस्थिति में, रिटर्निंग आफिसर की मेज पर केवल उसके मतगणना अभिकर्ता को सभी मतगणना मेजों के चारों ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।

5.4 प्रत्येक व्यक्ति से मतगणना हॉल के भीतर कड़ा अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने में रिटर्निंग आफिसर के साथ पूरी तरह सहयोग किया जाना अपेक्षित होगा। उन्हें रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्निंग आफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है जो उसके निदेशों की बार-बार अवज्ञा करेगा।

5.5 मतगणना अभिकर्ता और दूसरे व्यक्तियों को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, जब एक मतगणना अभिकर्ता और अन्य व्यक्ति मतगणना हॉल के भीतर है, तो उन्हें साधारणतया परिणाम की घोषणा के बाद ही बाहर जाने की अनुमति होगी।

5.6 मतगणना हॉल के लिए पेयजल, नाश्ते, शौचालय आदि के लिए सभी यथोचित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

5.7 मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के प्रेक्षकों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, किंतु वे अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखेंगे।

5.8 मतगणना स्टाफ, अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन/मतगणना अभिकर्ता(ओं) को मतगणना हॉल के भीतर धूम्रपान करने की अनुमति नहीं होगी।

5.9 मतगणना, कतारों में व्यवस्थित मेजों पर की जाएगी। प्रत्येक कतार में मेजों को क्रम संख्याकित किया जाएगा। प्रत्येक मतगणना मेंजों पर अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकता का अनुपालन करके की जाएगीः-

i. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता;
ii. मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता;
iii. अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता, जिन्हें निर्वाचन-क्षेत्र में अपने आरक्षित प्रतीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है;
iv. रजिस्ट्रीकृत-अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता; तथा
v. निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता।

6. मतगणना मेजों की बेरिकेडिंग के लिए इंतजाम

6.1 प्रत्येक मतगणना हॉल में, प्रत्येक मतगणना मेज के लिए बेरिकेड या वायर मेश प्रदान किए जाएंगे ताकि मतगणना अभिकर्ता इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के साथ छेड़-छाड़ न करें। तथापि, मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना मेज पर संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया को देखने के लिए सभी यथोचित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। रिटर्निंग आफिसर सुनिश्चित करेगा कि बेरिकेड या वायर मेश पारदर्शी हों या बेरिकेड लगाने के प्रयोजन के लिए बांसों या अन्य सामग्री के बीच या ऊपर इतना पर्याप्त स्थान हो कि मतगणना प्रक्रिया की पूरी झलक मिल सके। लगाए जाने वाले बेरिकेड की सही रीति रिटर्निंग आफिसर के विवेक पर छोड़ी जाती है। उसे ऐसा दृष्टिकोण अंगीकार करना चाहिए जो वह यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित समझे, कि मतगणना की प्रक्रिया में किसी भी रीति में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा ईवीएम को हैंडल न किया जाए या उनके साथ छेड़-छाड़ न की जाए।

7. गोपनीयता को बनाए रखना

7.1 मतगणना हॉल के भीतर प्रत्येक व्यक्ति से विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि वह मतदान की गोपनीयता को बनाए रखे और बनाए रखने में सहायता करे और उसे ऐसी गोपनीयता के उल्लंघन में कोई सूचना किसी व्यक्ति को संसूचित नहीं करनी चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस संबंध में विधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति ऐसी अवधि, जो 9 माह तक विस्तार की जा सकेगी, के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने के लिए दायी है (लोक प्रतिधिनित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128)।

7.2 मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व, रिटर्निंग आफिसर सभी उपस्थित व्यक्तियों की सूचना और उनकी ओर से अनुपालन के लिए उपर्युक्त धारा 128 के उपबंधों को पढ़कर सुनाएगा और स्पष्ट करेगा।

8. मतगणना कार्मिकों का यादृच्छिकीकरण

8.1 मतगणना पर्यवेक्षकों और मतगणना सहायकों की तैनाती यादृच्छिक रूप से इस प्रकार की जानी चाहिए कि मतगणना कार्मिकों को मतगणना के दिवस को मतगणना केंद्र में पहुंचने के समय ही उन्हें आबंटित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और मेज के बारे में जानकारी हो।

8.2 जिला निर्वाचन अधिकारी सभी मतगणना स्टाफ को फोटो पहचान पत्र जारी करेगा। उसे मतगणना प्रयोजनों के लिए उपलब्ध भली-भांति प्रशिक्षित कार्मिकों (आरक्षित पूल सहित) का पूल रखना चाहिए। मतगणना कार्मिकों को मतगणना की तारीख को पूर्वाह्न 6 बजे मतगणना केंद्र में पहुंचने का निदेश दिया जाना चाहिए।

8.3 प्रेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना के दिवस में पूर्वाह्न 5 बजे यादृच्छिकीकरण करने के लिए एक स्थान पर एकत्र होंगे। यह स्थान जिला निर्वाचन अधिकारी/ रिटर्निंग आफिसर का कार्यालय, मतगणना केंद्र या कोई अन्य कार्यालय हो सकता है, जहां प्रक्रिया सुविधाजनक रूप से आयोजित की जा सकती हो।

8.4 यादृच्छिकीकरण मैनुअल रूप से या कंप्यूटर के प्रयोग से किया जाएगा। मैनुअल यादृच्छिकीकरण के लिए उपस्थित वरिष्ठतम प्रेक्षक लॉट निकालकर मतगणना कार्मिकों को यादृच्छिक रूप से निर्वाचन क्षेत्र एवं मेज संख्या निर्दिष्ट करेगा। इसे पृथक रूप से एवं स्वतंत्र रूप से उपर्युक्त दो सूचियों के साथ किया जाना होता है, ताकि प्रत्येक मेज के लिए एक मतगणना पर्यवेक्षक एवं एक मतगणना सहायक का नाम प्राप्त हो सके।

8.5 जिला निर्वाचन अधिकारी इस यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया का त्वरित एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी पूर्व इंतजाम करेगा। इसमें मतगणना कार्मिकों और निर्वाचन क्षेत्र को निर्दिष्ट विशिष्ट क्रम संख्या/मेज संख्या की सूची तैयार किया जाना सम्मिलित होगा।

8.6 वैकल्पिक रूप से, जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेक्षकों के परामर्श से कंप्यूटर की सहायता से उपर्युक्त यादृच्छिकीकरण को करने के लिए इंतजाम कर सकेगा। प्रेक्षकों को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि प्रक्रिया सभी त्रुटियों से मुक्त है और कि उसमें यादृच्छिक रीति से सही परिणाम प्राप्त होते हैं।

8.7 जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी रिकॉर्ड प्रयोजन के लिए की जाए।

8.8 यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया पूरी होते ही, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रेक्षकों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन क्षेत्र-वार तैनाती सूचियां, प्रेक्षकों और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसी

समय मतगणना केंद्र में लाई जाएंगी, जिन्हें पूर्वाह्न 6 बजे तक संबंधित रिटर्निंग आफिसर एवं नियंत्रण कक्ष को सौंपा जाएगा।

8.9 यादृच्छिकीकरण की पूरी प्रक्रिया पूर्वाह्न 6 बजे तक समाप्त हो जानी चाहिए ताकि मतगणना कार्मिक मतगणना प्रक्रिया के आरंभ होने के निर्धारित समय से पूर्व अपने निर्दिष्ट स्थान पर सुविधाजनक रूप से पहुंच सके।

8.10 ऐसे कार्मिक, जिन्हें कोई निर्वाचन क्षेत्र/मेज निर्दिष्ट नहीं किया गया है, आरक्षित पूल का हिस्सा होंगे।

8.11 कार्मिकों की तैनाती पालियों में नहीं होगी क्योंकि मतगणना प्रक्रिया में सामान्यतया 6 से 8 घंटे से अधिक समय नहीं लगता है। तथापि, जिला निर्वाचन अधिकारियों को ऐसी कोई अत्यावश्यकता होने पर कार्मिकों को बदलने की छूट होगी, किंतु बदलने संबंधी यह कार्य भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक से परामर्श के बाद आरक्षित कार्मिकों के पूल से यादृच्छिक रूप से किया जाएगा। यथा व्यवहार्य, मतों की गणना, मतगणना समाप्त होने तक लगातार होगी।

9. डाक मतपत्रों की गणना

(क) सेवा मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित डाक मतपत्रों (ईटीपीबी) की गणना

9.1 इलेक्ट्रानिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्रों (ईटीपीबी) की मतगणना रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर की जाएगी जैसा कि अन्य डाक मतपत्रों के मामले में किया जाता है। केवल ऐसे डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी, जो मतगणना की शुरुआत के लिए नियत घण्टे से पहले प्राप्त होते हैं।

9.2 प्रथम चरण:- प्ररूप 13-ग (बाह्य आवरण) को खोलना: प्ररूप 13-ग में समय पर प्राप्त हुए आवरणों का सत्यापन किया जाना चाहिए और एक के पश्चात दूसरा खोला जाना चाहिए। बाह्य लिफाफे पर क्यूआर कोड को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करते हुए स्कैन किया जाएगा और आवश्यक वैधता जाँच की जाएंगी। बाह्य लिफाफे के सत्यापन के पश्चात, कम्प्यूटर द्वारा एक विशिष्ट संख्या उपलब्ध करवाई जाएगी। यह क्रम संख्या रिटर्निंग आफिसर द्वारा सत्यापित किए जा रहे लिफाफे पर हाथ से भी चिह्नित की जाएगी। कम्प्यूटर साफ्टवेयर, प्राप्त हुए डाक मतपत्रों की सूची में किसी भी संभावित अनुलिपियों के संबंध में क्यूआर कोड में प्रविष्टि की जांच करेगा तथा ऐसे मामलों के लिए चेतावनी देगा। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों में से सभी डुप्लिकेट मतपत्रों की क्रम संख्या की सूची भी उपलब्ध करवाएगा। रिटर्निंग आफिसर कम्प्यूटर साफ्टवेयर द्वारा यथाइंगित ऐसे सभी डुप्लिकेट लिफाफों को पहचानेगा और उन्हें भौतिक रूप से इकठ्ठा रखेगा तथा ऐसे सभी डुप्लिकेट/बहुल मतों को अमान्य घोषित करेगा। अमान्य घोषित ऐसे सभी लिफाफों को आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं खोला जाएगा तथा उन्हें अलग रखा जाएगा और भावी संदर्भ के लिए संरक्षित किया

जाएगा। ऐसे डुप्लिकेट डाक मतपत्रों की संख्या रजिस्टर में चिह्नित की जाएगी। आवरण "ख" (प्ररूप 13ग) खोलने पर अंदर दो दस्तावेज पाए जाने अपेक्षित हैं। पहला फार्म 13-क में मतदाता द्वारा घोषणा है तथा दूसरा आन्तरिक आवरण अर्थात डाक मतपत्र वाला प्ररूप 13-ख है। जैसे ही प्रत्येक आवरण खोला जाता है, रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 13-क में घोषणा को बाहर निकालना चाहिए और वह प्ररूप 13-ख में आवरण को स्कैन करेगा, सत्यापन करेगा और फिर घोषणा की जांच करेगा।

9.3 डाक मतपत्र युक्त प्ररूप 13-ख में आवरण खोलने से पहले, रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 13-क और ऐसे सभी प्ररूपों में घोषणा की आवश्यक रूप से जांच करनी चाहिए। प्ररूप 13-ख को खोलने और गणना करने के लिए लेने से पहले 13-क को अलग रखा जाना चाहिए और सीलबंद किया जाना चाहिए। रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 13-ख में इसके आंतरिक आवरण को खोले बगैर मतपत्र को अस्वीकार कर देगा यदि:

(i) प्ररूप 13-क की घोषणा आवरण में प्राप्त नहीं हुई है, या

(ii) प्ररूप 13-क में घोषणा में इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र पहचान संख्या (ई-पीबीआईडी) जारी की गई ई-पीबीआईडी से मेल नहीं खाती है, या

(iii) घोषणा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित नहीं की गई है और, या ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई है, या घोषणा में प्रदर्शित मतपत्र की ई-पीबीआईडी, प्ररूप 13-ख में आवरण पर दी गई ई-पीबीआईडी से भिन्न है।

9.4 ऐसे प्रत्येक अस्वीकृत आवरण को उचित रूप से पृष्ठांकित किया जाना चाहिए और घोषणा तथा आवरण को प्ररूप 13-ग (बाहरी लिफाफे) में वापस आवरण में रख देना चाहिए। प्ररूप 13-ग में ऐसे सभी आवरणों को एक अलग पैकेट में विधिवत रूप से सीलबंद करके एक साथ रखा जाना चाहिए और उन पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम, गणना की तारीख और विषय-वस्तु के संक्षिप्त विवरण जैसा पूर्ण ब्यौरा नोट किया जाना चाहिए ताकि उनकी आसानी से पहचान की जा सके। प्ररूप 13-क में सभी घोषणाओं, जो उचित पाई गई हैं, को गणना के लिए अलग से रखा जाना जाएगा।

9.5 आगे की गणना के लिए, डाक मतपत्र की गणना हेतु सभी अनुदेश लागू होंगे।

9.6 क्यूआर कोड की स्कैनिंग बिना चूके क्रमवार रूप में की जानी चाहिए। प्ररूप 13-ग को पहले स्कैन किया जाना चाहिए, उसके बाद दोनों प्ररूप 13-क और उसके बाद प्ररूप 13-ख पर क्यूआर कोड स्कैन

किए जाएंगें। क्यूआर कोड की स्कैनिंग का अनुक्रम किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत नहीं बदला जाना चाहिए।

(ख) डाक मत-पत्रों की गणना

9.7 मतगणना दिवस को, सर्वप्रथम डाक मतपत्र की गणना की जाएगी और 30 मिनट के अंतराल पर, ई वी एम की गणना भी शुरू की जा सकती है।

9.8 डाक मतपत्रों की गणना के लिए पृथक मेज या पृथक इंतजाम होने चाहिए। प्रत्येक 500 डाक मतपत्रों के लिए मतगणना के लिए अतिरिक्त मेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। रिटर्निंग आफिसर अपनी मेज पर डाक मतपत्र की गणना के लिए जिम्मेदार होगा। एक सहायक रिटर्निंग आफिसर को डाक मतपत्र की गणना का कार्य संभालने के लिए समर्पित किया जाएगा। प्रेक्षक एवं रिटर्निंग आफिसर को डाक मतपत्र की गणना और ई वी एम की साथ-साथ हो रही गणना में हुई प्रगित का गहनता से अनुवीक्षण करना चाहिए। अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को एक पृथक मतगणना अभिकर्ता नामनिर्देशित करने की सलाह दी जाएगी और वह उस मेज, जहां डाक मतपत्र की गणना हो रही है, के नजदीक उपस्थित रह सकेगा।

9.9 मतदाता से प्राप्त प्रत्येक डाक मतपत्र प्ररूप 13-ख में आंतरिक कवर में अंतर्विष्ट होगा। यह कवर प्ररूप 13-क में निर्वाचक की घोषणा के साथ, रिटर्निंग आफिसर को संबोधित प्ररूप 13-ग में एक बड़े कवर में अंतर्विष्ट होगा।

9.10 रिटर्निंग आफिसर डाक मतपत्र वाले प्ररूप 13ग में किसी ऐसे कवर को नहीं खोलेगा जो उसे विलंब से अर्थात मतगणना प्रारंभ होने के लिए नियत समय के बाद प्राप्त हुआ है। वह प्ररूप 13ग में कवर के उपर इस प्रयोजन के लिए समुचित पृष्ठांकन करेगा। इन कवरों में अंतर्विष्ट मतों की गणना नहीं की जाएगी। वह ऐसे सभी कवरों का एक पैकेट बनाएगा और पैकेट को सील बंद कर देगा।

9.11 रिटर्निंग आफिसर को समयपूर्वक प्राप्त प्रारूप 13-ग, जिसमें डाक मतपत्र होते हैं, में सभी आवरण एक के बाद एक उसके द्वारा खोले जाएंगें। मतदाता द्वारा प्रारूप 13क में घोषणा प्ररूप 13ग में प्रत्येक आवरण के अंदर पाई जाएगी। प्ररूप 13-ख के आवरण जिसमें डाक मत-पत्र होता है, को खोलने से पूर्व रिटर्निंग आफिसर घोषणा (प्ररूप 13-क) की जांच करेगा। वह डाक मत-पत्र को इसके भीतरी आवरण (प्ररूप 13-ख) को खोले बगैर अस्वीकृत कर देगा यदिः

क) प्ररूप 13-क में घोषणा प्ररूप 13-ग में आवरण में नहीं पाई जाती है;

ख) यदि घोषणा निर्वाचन द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित नहीं की गई है या सम्यक रूप से अनुप्रमाणित करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित नहीं की गई है या अन्यथा सारवान रूप से त्रुटिपूर्ण है;

ग) घोषणा में दर्शाए गए मत-पत्र की क्रम संख्या प्ररूप 13-ख में आंतरिक आवरण पर यथा पृष्ठांकित क्रम संख्या से भिन्न है।

9.12 प्ररूप 13-ख में ऐसे सभी अस्वीकृत आवरणों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा उचित रूप से पृष्ठांकित किया जाएगा और इसे प्ररूप 13-ग में बडे आवरणों में संबंधित घोषणाओं से बदला जाएगा। ऐसे सभी बड़े आवरणों को एक अलग पैकेट में रखा जाएगा, जिसे रिटर्निंग आफिसर द्वारा सील किया जाएगा और उस पर सम्पूर्ण विवरणों, जैसाकि निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतगणना की तारीख और विषय-वस्तु का संक्षिप्त विवरण आदि को नोट किया जाएगा ताकि उसकी आसानी से पहचान की जा सके।

9.13 उसके बाद, रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 13-ख में शेष कवरों अर्थात यथा उपर्युक्त अस्वीकृत कवरों से भिन्न, पर कार्रवाई शुरू करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी दशा में मतपत्रों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं हो, प्ररूप 13-क में सभी घोषणाएं, जो संवीक्षा में रिटर्निंग आफिसर द्वारा सही पाई जाती हैं, को पहले एक पृथक पैकेट में रखा जाएगा और उसे सीलबंद किया जाएगा। पैकेट पर पहचान संबंधी विवरण लिखे जाएंगे। किन्हीं मतपत्रों को प्ररूप 13-ख में उनके कवरों से निकाले जाने से पूर्व इन घोषणाओं को एक सीलबंद पैकेट में रखना आवश्यक है क्योंकि घोषणाओं में मतदाताओं के डाक मतपत्रों की अपनी-अपनी क्रम संख्या के साथ उनके नाम होते हैं।

9.14 उपर्युक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 13-ख में कवरों को एक-एक करके खोलेगा और उसमें अंतर्विष्ट डाक मतपत्रों को बाहर निकाला जाएगा। रिटर्निंग आफिसर ऐसे प्रत्येक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और इसकी विधिमान्यता के बारे में निर्णय करेगा।

9.15 किसी डाक मत-पत्र को अस्वीकृत किया जा सकता है यदिः

क. उस पर कोई मत दर्ज नहीं है; अथवा

ख. इस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मत दिए गए हैं; अथवा

ग. यह एक जाली मत-पत्र है; अथवा

घ यह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत है कि वास्तविक मत पत्र के रूप में इसकी पहचान नहीं की जा सकती है; अथवा

ड. इसे उस आवरण में वापिस नहीं किया गया है जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा इसके साथ निर्वाचक को भेजा गया था; अथवा

च. मत को इंगित करने वाला चिहन मत-पत्र पर इस तरीके से लगाया गया है कि यह संदेहात्मक हो गया है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है; अथवा

छ. इसमें ऐसा चिहन या लेखन है जिससे मतदाता की पहचान की जा सकती है।

9.16 किसी डाक मत-पत्र पर अपना मत इंगित करने के लिए मतदाता द्वारा कोई विशिष्ट चिहन लगाया जाना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। किसी भी चिहन को तब तक विधिमान्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जब तक कि इसे मत-पत्र पर इस प्रकार अंकित एवं दर्ज किया गया हो कि किसी अभ्यर्थी विशेष के लिए मतदाता द्वारा मत देने की मंशा किसी सकारण संदेह से स्पष्टतया परे हो। इस प्रकार, उस अभ्यर्थी को आबंटित स्थान में कहीं भी चिहन लगाने को संबंधित अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मत समझा जाना चाहिए। इसके अलावा, किसी डाक मत-पत्र पर दर्ज मत को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए कि मत को इंगित करने वाला चिहन अस्पष्ट है अथवा एक से अधिक बार लगाया गया है, यदि यह मंशा कि मत किसी अभ्यर्थी विशेष के लिए है, मत पत्र में चिन्ह लगाने के तरीके से साफ-साफ प्रदर्शित हो जाए।

9.17 तत्पश्चात्, वैध मतों की गिनती की जानी चाहिए तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के खाते में उसे दिए गए मतों को जमा किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल डाक मतों का परिकलन किया जाना चाहिए, प्ररूप 20 में परिणाम -पत्र में प्रविष्ट किया जाना चाहिए तथा अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं/मतगणना अभिकर्ताओं की सूचना के लिए घोषणा की जानी चाहिए।

9.18 तत्पश्चात्, सभी विधिमान्य मतपत्रों तथा सभी अस्वीकृत मत-पत्रों को अलग-अलग बांध दिया जाना चाहिए तथा एक पैकेट में साथ रखा जाना चाहिए और रिटर्निंग आफिसर की मुहर तथा ऐसे अभ्यर्थियों की मुहरों से उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं अथवा मतगणना अभिकर्ता (किसी एक अभ्यर्थी के संबंध में दो से अधिक नहीं), जो अपनी मुहर लगाने के लिए इच्छुक हों, से सीलबंद कर दिया जाना चाहिए।

9.19 किन्हीं परिस्थितियों में, ई वी एम गणना के सभी दौरों के परिणामों की उद्घोषणा डाक मतपत्र की गणना को अंतिम रूप देने से पूर्व नहीं की जाएगी।

9.20 यदि केवल डाक मतपत्र की गणना के आधार पर जीत के बारे में निर्णय लिया जा रहा है, तो अनिवार्य रूप से पुनर्सत्यापन किया जाना चाहिए। प्रेक्षक एवं रिटर्निंग आफिसर की उपस्थिति में अमान्य के रूप में अस्वीकृत डाक मतपत्रों और प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में गणना किए गए मतों को दोबारा सत्यापित किया जाएगा और इनका मिलान किया जाएगा। प्रेक्षक और रिटर्निंग

आफिसर परिणाम को अंतिम रूप देने से पहले पुनर्सत्यापन के निष्कर्षों को रिर्कार्ड करेंगे और स्वयं को संतुष्ट करेंगे।

9.21 जब कभी ऐसा पुनर्सत्यापन/पुनर्गणना की जाती है, तो मत की गोपनीयता से कोइ समझौता किए बिना संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और विडियो कैसेट/सीडी को भविष्य के संदर्भ के लिए पृथक लिफाफे में सीलबंद किया जाना चाहिए।

10. मतदान केंद्रों में डाले गए मतों की गणना

10.1 जहां डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपनी मेज पर की जा रही है वहीं ईवीएम द्वारा मतदान केंद्रों में दर्ज मतों की गणना भी सहायक रिटर्निंग आफिसर(रों) द्वारा मतगणना हॉल में प्रदान की गई अन्य मेजों पर की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, मतदान केंद्रों से प्राप्त ईवीएम की कंट्रोल यूनिटों को विभिन्न मतगणना मेजों को वितरित किया जाएगा। वितरण का यह कार्य इस प्रकार आरंभ किया जाएगा कि मतदान केंद्र संख्या 1 की ईवीएम की कंट्रोल यूनिट मेज सं. 1 को, मतदान केंद्र सं. 2 की ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को मेज संख्या 2 को, और इसी प्रकार वितरित किया जाए। प्रत्येक मतगणना मेज पर, एक मतदान केंद्र में डाले गए मतों की गणना एक बार की जाएगी। इस प्रकार, मतगणना के प्रथम दौरे में एक साथ मतगणना शुरू करने में मतदान केंद्रों और मतगणना मेजों की संख्या बराबर होगी। मतगणना मेजों और मतगणना केंद्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यथा आवश्यक दौरों में मतगणना की जाएगी और पूरी की जाएगी। अगले दौरे के लिए कंट्रोल यूनिटों को मतगणना मेजों पर तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि पिछले दौरे की मतगणना पूरी न हो जाए। लोक सभा एवं विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों की दशा में, मतगणना मेजों की कुल संख्या को मेजों की समान संख्या के दो समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रथम समूह विधान सभा निर्वाचन के लिए होना चाहिए और दूसरा समूह संसदीय निर्वाचन के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मतगणना मेजों की कुल संख्या मतगणना के प्रथम दौर में 14 (चौदह) है, तो विधान सभा के लिए मतदान केंद्र संख्या 1 में प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट मेज संख्या 1 को दी जानी चाहिए और लोक सभा के लिए मतदान केंद्र संख्या 1 में प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट को मेज संख्या 8 को दी जानी चाहिए अर्थात लोक सभा के लिए मतगणना हेतु प्रथम मेज और मतदान केंद्र संख्या 2 में विधान सभा के लिए प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट को मेज संख्या 2 को दिया जाना चाहिए और मतदान केंद्र सं. 2 में लोक सभा के लिए प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट को मेज संख्या 9 अर्थात लोक सभा के लिए मतगणना हेतु दूसरी मेज को दिया जाना चाहिए और आगे इसी क्रम में दिया जाना चाहिए। मतगणना अभिकर्ताओं को ऐसे वितरण का लेखा अपनी सूचना के लिए अपने पास रखना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि लोक सभा एवं विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों के

लिए मतगणना की दशा में अगले दौर की मतगणना दोनों निर्वाचनों के संबंध में पिछले दौर की मतगणना पूरी होने तथा पूरे किए गए दौर में शामिल मतदान केंद्रों में प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों को मतगणना मेजों से हटाए जाने के बाद शुरू की जाएगी।

10.2 मतगणना के समय किसी विशेष मतदान केंद्र में प्रयुक्त ईवीएम की कंट्रोल यूनिट ही उस मतदान केंद्र में मतदान का परिणाम अभिनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है। बैलट यूनिट को स्ट्रांग रूम में रखा जाना चाहिए।

10.3 कंट्रोल यूनिट के साथ, उस मतदान केंद्र से संबंधित प्ररूप 17-ग में दर्ज संगत मत लेखा भी मतगणना मेज पर दिया जाएगा।

10.4 किसी भी ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की गिनती से पूर्व, कंट्रोल यूनिटों की सीलों की जांच की जाती है। मतगणना मेज पर उपस्थित गणन अभिकर्ताओं को बाह्य पट्टी की मुहर, विशेष टैग, हरी कागज मुहरों तथा ऐसी अन्य महत्वपूर्ण मुहर, जो बक्सों (कैरिंग केस) तथा कंट्रोल यूनिट पर लगाई गई हों, का निरीक्षण करना तथा सील की अक्षुण्णता के संबंध में स्वयं को भी संतुष्ट करना अनुमत्य होगा। आप अपने आपको इस संबंध में भी संतुष्ट करेंगे कि किसी भी वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। यदि किसी कंट्रोल यूनिट की सील के साथ छेड़छाड़ हुई पायी जाती है, तो उस मशीन में दर्ज मतों की गिनती नहीं की जाएगी तथा उस मामले की सूचना तत्काल आयोग को उनके निदेशों हेतु दी जाएगी।

10.5 चूंकि प्रत्येक कैरिंग केस को मतगणना मेज पर लाया जाता है, इसलिए मतदान केन्द्र पर उस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा लगाई गई मुहरों की जांच की जानी चाहिए। यदि कैरिंग केस की मुहर अक्षुण्ण न हो, तो उनमें रखी हुई कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है यदि उन पर मुहर तथा विशेषतौर पर उस यूनिट पर कागज की मुहर अक्षुण्ण हो। उसके बाद कैरिंग केस को खोला जाएगा तथा कंट्रोल यूनिट को बाहर निकाला जाएगा।

10.6 जैसे ही प्रत्येक कंट्रोल यूनिट को बक्से (कैटिंग केस) से निकाला जाएगा पहले इसकी क्रम संख्या की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वही कंट्रोल यूनिट है जिसकी मतदान केंद्र में उपयोग हेतु आपूर्ति की गई थी। तत्पश्चात् 'कैंडिडेट सैट सेक्शन' पर मुहर, जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान केंद्र में मशीन की आपूर्ति से पूर्व लगाई गई है तथा 'रिजल्ट सेक्शन' के बाहरी आवरण पर मुहर,जो मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा लगाई गई है, जांच की जाएगी। भले ही इनमें से कोई मुहर अक्षुण्ण नहीं हो, किन्तु कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है यदि परिणाम खण्ड के भीतरी आवरण पर लगे कागज मुहर अक्षुण्ण होगी।

10.7 'परिणाम सेक्शन' के बाहरी आवरण को खोलने पर विशेष टैग से सील किए गए भीतरी आवरण तथा पीठासीन अधिकारी की सील देखी जाएगी। यदि सील अक्षुण्ण नहीं भी होगी तब भी कंट्रोल

यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती यदि कागज मुहर अक्षुण्ण हो और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई हो। 'परिणाम सेक्शन' के भीतरी आवरण में एक ग्रीन पेपर सील होगी। ग्रीन पेपर सील इस प्रकार लगाई जानी चाहिए कि सील के दो मुक्त सिरे भीतरी उपखंडों जिनमें परिणाम बटन अवस्थित है, की दिशाओं से बाहर की ओर निकाले हों। पेपर सील की ऐसे मुक्त सिरे में से एक पर उस मुहर की मुद्रित क्रम संख्या होगी। पेपर सील पर उस क्रम संख्या का पीठासीन अधिकारी द्वारा प्ररूप 17ग के भाग I की मद 9 में तैयार पेपर सील संबंधी लेखा में यथा प्रदत्त क्रम संख्या के साथ मिलान किया जाना चाहिए। गणना अभिकर्ताओं, जो मतगणना मेज पर उपस्थित हों, को ऐसी पेपर सीलों की क्रम संख्या का मिलान करना तथा उन्हें अपने आपको इस बात से संतुष्ट करना अनुमत्य होगा कि ये पेपर सील वही है जो मतदान की शुरूआत से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर लगायी गयी थी।

10.8 यदि कंट्रोल यूनिट में वास्तविक रूप से प्रयुक्त पेपर सील की क्रम संख्या पेपर सील संबंधी लेखा में पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा प्रदर्शित, क्रम संख्या से मेल नहीं खाती है तो ऐसा हो सकता है कि पेपर सील संबंधी लेखा में त्रुटि आ गई होगी अथवा प्रथम दृष्ट्या यह संदेह होगा कि वोटिंग मशीन को सही तरीके से नहीं रखा गया है। रिटर्निंग आफिसर पीठासीन अधिकारी द्वारा वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील की क्रम संख्याओं की जांच करके इस प्रश्न का निर्णय करेंगें। यदि वह इसे लिपिकीय त्रुटि पाते हैं तो विसंगति को नजर अंदाज कर देंगें।

10.9 दूसरी ओर, यदि रिटर्निंग आफिसर संतुष्ट हो जाते हैं कि वोटिंग मशीन गलत रूप से प्रयोग में लाई गई है या यह वह मशीन नहीं है जिसकी आपूर्ति उस मतदान केन्द्र पर इस्तेमाल हेतु की गई थी तो इस मशीन को अलग रख दिया जाएगा चाहिए तथा उसमें दर्ज मतों की गिनती नहीं की जाएगी। वह इस मामले की सूचना निर्वाचन आयोग को देगा। यदि किसी वोटिंग मशीन को गलत तरीके से प्रयोग में लाया गया पाया जाता है तो विधि के अधीन समस्त मतगणना का स्थगन करना आवश्यक नहीं है। रिटर्निंग आफिसर अन्य मतदान केन्द्रों के संबंध में मतगणना की कार्यवाही को जारी रखेगा।

10.10 प्रत्येक दौर की समाप्ति पर, प्रेक्षक संबंधित दौर की कंट्रोल यूनिटों, जिनकी गणना हो गई है, में से किन्हीं दो ई वी एम कंट्रोल यूनिटों का याद्दच्छिक रूप से चयन करेगा। उसके बाद वह याद्दच्छिक चयन के माध्यम से रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से तैनात माइक्रो प्रेक्षक को निदेश देगा कि वह स्वतंत्र रूप से चयनित कंट्रोल यूनिटों से मशीन द्वारा यथा प्रदर्शित डाले गए मतों का ब्योरा लिखें। उसके बाद वह इन ब्योरे का मिलान मेज-वार परिणाम में कार्मिकों द्वारा दिए गए ब्योरे से करेगा ताकि दोनों के

बीच किसी विसंगति की जांच हो सके। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि यादृच्छिक जांच के लिए निर्दिष्ट स्टाफ को मेज-वार परिणाम में दिए गए ब्योरे की जानकारी नहीं हो।

10.11 प्रत्येक मतगणना मेज के लिए एक मतगणना पर्यवेक्षक एवं एक मतगणना सहायक के अतिरिक्त, प्रत्येक 14 मतगणना मेजों में एक अतिरिक्त स्टाफ को बिठाया जाएगा। अतिरिक्त स्टाफ हमेशा केंद्रीय सरकार/केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी होंगे। यह अतिरिक्त स्टाफ उस मेज में प्रत्येक दौर में गणना की जा रही ई वी एम द्वारा प्रदर्शित मतों के ब्योरे को लिखेगा। इन अतिरिक्त मतगणना स्टाफ को एक पूर्व मुद्रित विवरण दिया जाएगा जिस पर कंट्रोल यूनिट संख्या, दौर संख्या, मेज संख्या, मतदान केंद्र संख्या और उसके बाद निर्वाचन लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों के नाम और नोटा के लिए पैनल, जो मतपत्र पर दिखाई देते हैं, को लिखने के लिए स्थान होगा। वे विवरण के अंत में हस्ताक्षर करेंगे और प्रत्येक दौर के बाद प्रेक्षक को सौंपेगे।

10.12 जहां कहीं केंद्रीय सरकार के स्टाफ की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नही हो, वहां इस कमी को मंडल के भीतर पड़ोसी जिला से अपेक्षित संख्या में स्टाफ को मोबिलाइज करके मंडल आयुक्त/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा। अतिरिक्त स्टाफ को उपर्युक्तानुसार मतगणना केंद्र में तैनात किए जाने से पूर्व, संक्षिप्त प्रबोधन प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतिरिक्त स्टाफ को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहचान पत्र भी दिया जाएगा। ऐसे अतिरिक्त स्टाफ की निर्वाचन क्षेत्र-वार और उसके उपरांत मेज-वार तैनाती भी प्रेक्षक द्वारा यादृच्छिक रूप से की जाएगी।

10.13 निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नामनिर्देशित और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात प्रेक्षकों को विधि के अधीन सांविधिक उपबंधों के अधीन मतगणना प्रक्रिया की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें परिणाम की घोषणा से पूर्व किसी भी समय मतगणना प्रक्रिया को रोकने के लिए अधिकृत किया गया है या वे रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर को विधि में यथा परिकल्पित विभिन्न परिस्थितियों के अधीन परिणाम घोषित नहीं करने के लिए निदेश दे सकते हैं।

10.14 ऐसे मामलों में, जहां प्रेक्षक मतगणना प्रक्रिया को रोकने का आदेश देता है, वहां इस मामले में आयोग के उपयुक्त आदेश प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से या पृथक रूप से प्रेक्षक एवं रिटर्निंग आफिसर द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट तुरंत आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

11. परिणाम अभिनिश्चित करना

11.1 इसकी संतुष्टि हो जाने के बाद कि पेपर सील अक्षुण्ण है, कंट्रोल यूनिट वही है जिसकी आपूर्ति मतदान केन्द्र पर की गई थी तथा इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसमें दर्ज मतों की

गिनती की जाएगी। मशीन में दर्ज मतों की गिनती करने के लिए मतगणना पर्यवेक्षक द्‌वारा निम्नलिखित क्रियाविधि का अनुपालन किया जाना चाहिएः-

i. कंट्रोल यूनिट के पिछले कोष्ठ में प्रदान किए गए पावर स्विच को 'ऑन' की स्थिति में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट के डिस्पले भाग में 'ऑन' लैंप की हरी बत्ती जल जाएगी।

ii. परिणाम खण्ड के भीतरी आवरण के उपरी छिद्र के नीचे लगे 'परिणाम' बटन पर पेपर सील को छिद्रित किया जाएगा।

iii. तत्पश्चात 'परिणाम' बटन को दबाया जाएगा।

iv. इस प्रकार दबाए जा रहे **परिणाम** बटन पर मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी और नोटा के लिए दर्ज मतों की कुल संख्या कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल में स्वतः प्रदर्शित होगी।

किसी भी एसएलवीई यूनिट को कनेक्ट करें
संगणना परिणाम

मत परिणाम **पी डी टी 16-06-18**

पी एस टी 08-30-10 **पी ई टी 18-50-20**

क्रम सं. एच **बीसीयू एए 00001**

अभ्यर्थी

10

डाले गए कुल मत -1150

अभ्यर्थी - 01

मत - 99

अभ्यर्थी - 02

मत - 190

अभ्यर्थी - 10

मत - 15

समाप्त

---

v. मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा प्ररूप 17ग के 'भाग-II' मतगणना का परिणाम' में क्रम-वार अभ्यर्थीवार यथा प्रदर्शित उपर्युक्त परिणाम नोट किया जाएगा।

11.2 अपेक्षित होने पर 'परिणाम' बटन को पुनः दबाएं ताकि अभ्यर्थी और/अथवा उनके अभिकर्ता उपर्युक्त परिणाम को नोट कर सकें।

11.3 परिणाम नोट कर लिए जाने के बाद परिणाम सेक्शन का आवरण बंद कर दिया जाएगा तथा कंट्रोल यूनिट स्विच “आफ” कर दी जाएगी।

12. मतों की गणना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में खराबी होने पर की जाने वाली कार्रवाई

12.1 मतों की गणना के दौरान ईवीएम में खराबी होने पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

क. यदि कोई कन्ट्रोल यूनिट परिणाम डिस्प्ले नहीं करती है, तो इसे इसके बक्से (केरिंग केस) के भीतर वापस रख दिया जाना चाहिए और तदुपरांत गणना हॉल में रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। अन्य मशीनों में मतों की गणना यथावत् जारी रहेगी।

ख. ऐसी कन्ट्रोल यूनिट (टों) द्वारा परिणाम ऑक्जलरी डिस्प्ले यूनिट या प्रिन्टर का प्रयोग करते हुए पुन: प्राप्त नहीं किया जाएगा।

ग. मतों की गणना के पूरी होने के पश्चात, सभी कन्ट्रोल यूनिटों, संबंधित वीवीपीएटी की मुद्रित पेपर पर्चियों की गणना वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना हेतु आयोग द्वारा निर्धारित गणना प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

घ. इसके बाद, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56घ के अधीन वीवीपीएटी (यों) की मुद्रित पेपर पर्चियों की गणना, यदि कोई हो तो, की जाएगी।

ड. वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना के संबंध में एक रिपोर्ट सूचना हेतु संबंधित सीईओ द्वारा निम्नलिखित फार्मेट में आयोग को भेजी जानी चाहिए:

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	मतदान केन्द्र सं.	वीवीपीएटी की यूनिट की पहचान संख्या	कन्ट्रोल यूनिट की यूनिट आईडी, जिसके लिए वीवीपीएटी पेपर स्लिप की गणना की गई	
				सीयू द्वारा परिणाम को पुन: प्राप्त नहीं (नॉन-रिट्रिवल) किया जाना	निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 56घ के अधीन
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

च. मत गणना सम्पन्न होने के बाद, सभी कन्ट्रोल यूनिटों, चाहे उससे परिणाम प्राप्त किया गया हो या नहीं, को उनके संबंधित बक्सों (केरिंग केस) के भीतर रखा जाएगा। बक्सों (केरिंग केस) को एक बार फिर सीलबंद किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक सील पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। सभी अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन एजेन्टों को भी सील पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। फिर कन्टोल यूनिट को स्ट्रांग रूम (मों) में रखा जाना चाहिए।

13. **प्ररूप 17ग के 'भाग-।। - मतगणना का परिणाम' को पूरा करना**

13.1 जैसे ही प्रत्येक अभ्यर्थी तथा नोटा (NOTA) द्वारा प्राप्त मत कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित होते हैं, मतगणना पर्यवेक्षक को प्ररूप 17ग के भाग-।।-मतगणना का परिणाम - में प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में ऐसे मतों की संख्या को उपर्युक्त उल्लिखित अनुसार, अलग-अलग दर्ज करना चाहिए। उसे प्ररूप 17ग के उक्त भाग-।। में यह भी नोट करना चाहिए कि क्या उस भाग में यथा प्रदर्शित मतों की कुल संख्या उस प्ररूप के भाग । की मद V के सामने प्रदर्शित मतों की कुल संख्या से मेल खाती हैं अथवा क्या दोनों के योग में कोई विसंगति देखी गई है।

13.2 यदि वह ऐसी कोई विसंगति देखता है, तो वह इसे विधि के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए रिटर्निंग आफिसर के ध्यान में लाएगा। आप इसे उस अभ्यर्थी, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के ध्यान में ला सकते हैं ताकि वह यदि चाहे तो मामले को रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उठा सकते हैं।

13.3 प्ररूप 17ग के भाग-।। को पूरा करने के बाद मतगणना प्रेक्षक को इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। उसे इसे मतगणना मेज पर उपस्थित अभ्यर्थियों अथवा उनमें अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित करवाया जाना चाहिए।

13.4 प्ररूप 17ग का एक नमूना परिशिष्ट-।।। में दिया गया है।

13.5 प्ररूप 17ग के भाग-।। को मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा यथोचित रूप से भरे जाने, इस पर हस्ताक्षर करने तथा अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा इस पर हस्ताक्षर करवाए जाने के बाद, उसे इस प्ररूप को रिटर्निंग आफिसर को सौंप देना चाहिए। रिटर्निंग आफिसर इस बात की संतुष्टि हो जाने पर कि प्ररूप समुचित रूप से भर दिया गया है तथा यह सभी प्रकार से पूरा कर दिया गया है, इस पर प्रतिहस्ताक्षर करना चाहिए। रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस प्रकार से प्रतिहस्ताक्षरित प्ररूप को उस अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए जो अंतिम परिणाम का संकलन तथा प्ररूप 20 में अंतिम परिणाम पत्र तैयार कर रहे है।

14. यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केंद्र की वीवीपीएटी पेपर स्लिपों का अनिवार्य सत्यापन :

14.1 ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के अंतिम चरण के पूरा होने के बाद, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56घ के उपबंधों के अतिरिक्त यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केंद्र की वीवीपीएटी पेपर स्लिपों का अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा। राज्य विधान सभा के साधारण और उप निर्वाचनों के मामले में, प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केंद्र की वीवीपीएटी पेपर स्लिपों का सत्यापन किया जाएगा। लोक सभा के साधारण एवं उप निर्वाचन के मामले में, संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के सेग्मेंट के यादृच्छिक रूप से चयनित या आयोग द्वारा यथानिदेशित एक मतदान केंद्र की वीवीपीएटी पेपर स्लिपों का सत्यापन किया जाएगा।

14.2 वीवीपीएटी पेपर स्लिपों के इस अनिवार्य सत्यापन के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा :

1. प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/सेग्मेंट के लिए यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केंद्र की वीवीपीएटी पेपर स्लिपों का सत्यापन ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के अंतिम दौर के पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा।

2. प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/सेग्मेंट में यादृच्छिक रूप से एक मतदान केंद्र का चयन, अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं तथा उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए आयोग द्वारा नियुक्त साधारण प्रेक्षक की उपस्थिति में संबंधित रिटर्निंग आफिसर द्वारा लॉट के ड्रॉ द्वारा किया जाएगा।

3. विशेष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा सेग्मेंट के लिए निर्धारित मतगणना हॉल में ईवीएम (कंट्रोल यूनिट्स) में दर्ज किए गए मतों की मतगणना के अंतिम दौर के पूरा होने के शीघ्र बाद लॉट का ड्रॉ किया जाना चाहिए।

4. वीवीपीएटी पेपर स्लिपों के सत्यापन के लिए एक मतदान केंद्र के यादृच्छिक चयन हेतु लॉट्स का ड्रॉ संचालित करने के संबंध में लिखित संसूचना अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को रिटर्निंग आफिसर द्वारा अग्रिम में दी जाएगी।

5. लॉट्स के ड्रॉ के संचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा :

   क. लॉट्स का ड्रॉ संचालित करने के लिए पोस्टकार्ड आकार के सफेद रंग के पेपर कार्ड का प्रयोग किया जाएगा।

   ख. ऐसे पोस्ट कार्डों की कुल संख्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/ सभा निर्वाचन सेग्मेंट में मतदान केंद्रों की कुल संख्या के बराबर होनी चाहिए।

   ग. पेपर कार्डों में पूर्व प्रिंटेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा सेग्मेंट का नंबर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा सेग्मेंट का नाम तथा मतदान की तारीख शीर्ष पर और मतदान केंद्र का नम्बर मध्य में होगा। मतदान केंद्र की संख्या का प्रत्येक अंक कम से कम 1" x 1"(1 इंच x 1 इंच) के आकार का होगा तथा काली स्याही में प्रिंटेड होगा।

घ. लॉट्स के ड्रॉ के लिए प्रयोग किए जाने वाले पेपर कार्ड को इस प्रकार से चार मोड़ में होना चाहिए कि मतदान केंद्र नम्बर दृष्टिगोचर नहीं हो।

ङ. प्रत्येक पेपर कार्ड को मोड़ने तथा कन्टेनर में डालने से पहले अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं को दिखाया जाएगा।

च. पेपर कार्डों को बड़े डिब्बे (कन्टेनर) में रखा जाएगा तथा रिटर्निंग आफिसर द्वारा 01 (एक) पर्ची को चुनने से पहले इसे अच्छी तरह से हिलाया जाना चाहिए।

14.3 वीवीपीएटी की पेपर स्लिपों का सत्यापन, मतगणना हॉल के भीतर इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से तैयार किए गए 'वीवीपीएटी गणना बूथ' में किया जाएगा। बूथ को बैंक के खजांची (कैशियर) के केबिन की तरह वायर मेश में परिबद्ध किया जाएगा ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति वीवीपीएटी पर्ची तक नहीं पहुंच पाए। मतगणना हॉल में एक गणना मेज को वी सी बी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तथा इसका प्रयोग दौर-वार ईवीएम गणना के पूरा होने के बाद यादृच्छिक चयन के अनुसार वीवीपीएटी पर्चियों की गणना से पहले दौर-वार ईवीएम मतों की सामान्य गणना के लिए किया जा सकता है।

14.4 यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केंद्र की वीवीपीएटी पेपर स्लिपों की सत्यापन गणना, प्रिंटेड पेपर स्लिपों की गणना के संबंध में आयोग के अनुदेशों के अनुसार ही संचालित की जाएगी।

14.5 रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर, यथा स्थिति, व्यक्तिगत रूप से इस बूथ पर वीवीपीएटी पेपर स्लिपों की गणना का पर्यवेक्षण करेंगे। साधारण प्रेक्षक संपूर्ण कार्य का गहन एवं सावधानी पूर्वक प्रेक्षण सुनिश्चित करेंगे और आयोग के अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

14.6 उपर्युक्त पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

14.7 उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद, रिटर्निंग आफिसर नीचे दिए गए फॉर्मेट में प्रमाण-पत्र देंगे :

यादृच्छिक रुप से चयनित एक मतदान केन्द्र के वीवीपीएटी की पेपर स्लिपों का सत्यापन

राज्य का नाम

विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम

विधान सभा सेग्मेन्ट (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मामले में) की संख्या एवं नाम

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या एवं नाम

कन्ट्रोल यूनिट की विशिष्ट आई डी

वीवीपीएटी की विशिष्ट आई डी

यह प्रमाणित किया जाता है कि यादृच्छिक रुप से चयनित एक मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी की पेपर स्लिपों की गणना का प्रायोगिक परीक्षण आयोग के अनुदेशों के अनुसार आयोजित किया गया है।

अभ्यर्थी का नाम	डाले गए मतों की संख्या		विसंगति, यदि कोई हो तो
	ईवीएम के अनुसार	पेपर स्लिप के अनुसार	
1.			
2.			
3.			
……..			
…….			
नोटा			
कुल मत			

गणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

सामान्य प्रेक्षक के हस्ताक्षर

15. **अंतिम परिणाम पत्र की तैयारी**

15.1 अंतिम परिणाम को संकलित तथा अन्तिम परिणाम पत्र को प्ररूप 20 में तैयार करने वाले प्रभारी अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के संबंध में प्ररूप 17ग के 'भाग-II-मतगणना के परिणाम' में की गई प्रविष्टियों के पूर्णतया अनुरूप प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा मतदान केन्द्र पर प्राप्त मतों को दर्शाते हुए उस प्ररूप में प्रविष्टियां करेगा। किसी मतदान केन्द्र में दिए गए निविदत्त मतों, यदि कोई है, को संबंधित मतदान केन्द्र के संबंध में प्ररूप 20 में उपयुक्त स्तम्भ में लिखा जाना चाहिए।

15.2 प्रत्येक मतदान केंद्र के संबंध में प्ररूप 20 में इस प्रकार की गई प्रविष्टियों की उद्घोषणा की जाएगी ताकि अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केंद्र से संबंधित मतगणना के परिणाम को नोट कर सकें। वैकल्पिक रूप में, रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 20 में की गई प्रविष्टियों को ब्लैक बोर्ड पर लिखवाएगा। इससे आप अन्य मतदान केंद्रों में मतगणना के कार्य को बिना किसी रूकावट के जारी रख पाएंगे।

16. **पुनर्गणना**

16.1 आम तौर पर वोटिंग मशीनों में दर्ज मतों की दोबारा गिनती पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। वोटिंग मशीनों में दर्ज प्रत्येक मत वैध मत होता है और इसकी विधिमान्यता के संबंध में अथवा अन्यथा कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। अधिक-से-अधिक कुछ अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं ने किसी मतदान केन्द्र विशेष पर मतदान का परिणाम समुचित रूप से नोट नहीं किया होगा जब कंट्रोल यूनिट में वह सूचना प्रदर्शित हुई होगी। यदि पुनः सत्यापन की आवश्यकता उत्पन्न होती हो तो 'रिजल्ट' बटन को दबाकर ऐसा किया जा सकता है, जिस पर उस मतदान केन्द्र पर मतदान का परिणाम उस कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल में पुनः प्रदर्शित होगा।

16.2 वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल द्वारा दोबारा मतगणना की आवश्यकता को पूर्णतया समाप्त किए जाने के बावजूद निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 63 में निहित दोबारा मतगणना से संबंधित उपबंध निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में अभी भी लागू होंगे।

16.3 तद्नुसार, जब मतगणना पूरी हो गई हो, तो रिटर्निंग आफिसर और अंतिम परिणाम पत्र प्ररूप 20 में यथाप्रविष्ट प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या को दिखाते हुए उस परिणाम की घोषणा करेगा। घोषणा के बाद कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई मतगणना अभिकर्ता किसी या सभी मतदान केंद्रों में दर्ज मतों की पुनर्गणना के लिए लिखित में आवेदन कर सकेगा जिसमें ऐसी पुनर्गणना की मांग किए जाने के आधारों का उल्लेख किया जाएगा।

16.4 परिणाम पत्र में प्रविष्टियों की उद्घोषणा किए जाने के बाद, कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई मतगणना अभिकर्ता किसी मतदान केंद्र या मतदान केंद्रों के संबंध में वीवीपीएटी में मुद्रित पेपर पर्चियों की गणना करने के लिए रिटर्निंग आफिसर को लिखित रूप में आवेदन कर सकेगा। रिटर्निंग आफिसर आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर निर्वाचनों का संचालन नियम के नियम 56घ में यथा उपबंधित, मामले पर निर्णय ले सकेंगे।

16.5 इस प्रयोजनार्थ रिटर्निंग आफिसर उस सटीक घंटे और मिनट की घोषणा करेगा जिस तक वह पुनर्गणना के लिए लिखित आवेदन प्राप्त करने की प्रतीक्षा करेगा। जब दोबारा मतगणना के लिए आवेदन किया जाता है तो उन आधारों पर विचार किया जाएगा जिन पर आग्रह किया गया हो और मामले पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्णय किया जाएगा। वह आवेदन को समग्र रूप में या आंशिक रूप में अनुमति दे सकते हैं अथवा इसे पूर्णतया अस्वीकृत कर सकते हैं, यदि यह महत्वहीन या अनुचित लगे। रिटर्निंग आफिसर का निर्णय अन्तिम होगा। यदि किसी मामले में

पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पुनर्गणना के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है तो रिटर्निंग आफिसर मतों की गणना का निदेश देगा। डाक मतपत्रों की भी पुनर्गणना की जाएगी यदि उनकी पुनर्गणना के लिए अनुरोध किया जाता है और ऐसे अनुरोध को रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकार किया जाता है। ऐसी पुनर्गणना पूरी होने के बाद, परिणाम पत्र को आवश्यक सीमा तक सही किया जाएगा और इस प्रकार किए गए संशोधनों, की उद्घोषणा की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की कुल संख्या की उद्घोषणा करने के बाद परिणाम पत्र को पूरा किया जाएगा और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

16.6 यह ध्यान देना चाहिए कि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके किसी मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग आफिसर द्वारा परिणाम पत्र को पूरा करने और उस हस्ताक्षर करने के बाद पुनर्गणना की मांग करने का अधिकार नहीं है। परिणाम पत्र को पूरा करने एवं उस पर हस्ताक्षर करने के बाद मतों की पुनर्गणना की किसी भी मांग को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

16.7 यदि किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना एक से अधिक स्थानों पर की जाती है, तो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 65 के अनुसार मतों की पुनर्गणना की मांग, मतगणना के प्रयोजनार्थ नियत अंतिम स्थान में मतगणना के अंत में ही की जा सकती है। ऐसा अंतिम स्थान साधारणतया रिटर्निंग आफिसर का मुख्यालय होगा, जहां वह उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर समाविष्ट विभिन्न विधानसभा खंडों के परिणामों का मिलान एवं समेकन कर रहे होंगे।

17. नए सिरे से मतदान की दशा में मतगणना का स्थगन

17.1 पूर्वोक्त पैरा में, उल्लिखित कोई कदम उठाने से पूर्व, रिटर्निंग आफिसर, निर्वाचन अयोग के निदेश की प्रतीक्षा करेगा, यदि उसने उपर पैरा 24 में पहले ही यथा उल्लिखित किसी वोटिंग मशीन के साथ छेड़-छाड़ हुए पाए जाने के बारे में आयोग को कोई रिपोर्ट दी है। जहां आयोग प्रभावित मतदान केंद्र(द्रों) में नए सिरे से मतदान किए जाने का निदेश देता है, तो वहां सभी अन्य मतदान केंद्रों के संबंध में मतगणना प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, मतगणना स्थगित कर दी जाएगी। ऐसे मामले में सभी वोटिंग मशीनों और निर्वाचनों से संबंधित किसी अन्य कागज-पत्रों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा सीलबंद किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता को, यदि वह चाहे तो, प्रत्येक वोटिंग मशीन और पैकेट आदि, जिसमें निर्वाचन संबंधी कागज-पत्र रखे गए हैं, पर अपनी सील लगाने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार स्थगित मतगणना को पुन: तब शुरू किया जाएगा जब नया मतदान रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस निमित्त नियत तारीख को एवं समय पर आयोजित कर लिया जाए और उपर्युक्त विहित प्रक्रिया के अनुसार पूरा कर लिया जाए।

17.2 निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक को परिणाम की घोषणा से पूर्व किसी भी समय मतों की गिनती रोकने का अथवा परिणाम की घोषणा न करने का रिटर्निंग आफिसर को निदेश देने की शक्ति है, यदि प्रेक्षक की राय में अनेक मतदान केन्द्रों पर अथवा मतदान या मतगणना के लिए नियत स्थानों पर बूथ पर कब्जा करने की घटना हुई है अथवा इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन या डाक मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा से गैर-कानूनी ढंग से ले लिए जाते हैं अथवा ये अनजाने में या जानबूझ कर नष्ट कर दिए जाते हैं या खो जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं अथवा इनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। ऐसे मामलों में निर्वाचन कार्यवाही निर्वाचन आयोग के ऐसे निदेशों, जो वह प्रेक्षकों की रिपोर्ट पर जारी करे, के अनुसार तथा सभी तथ्यात्मक परिस्थितियों को ध्यान में लेने के बाद आगे बढ़ाई जाएगी।

18. **मतगणना के पश्चात् वोटिंग मशीनों को पुनः सीलबंद करना**

18.1 जब किसी कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतदान के परिणाम का अभ्यर्थी-वार पता कर लिया गया हो और प्ररूप 17ग के भाग-II-मतगणना का परिणाम में तथा प्ररूप 20 में अंतिम परिणाम पत्र में प्रविष्ट कर दिया गया हो, तो रिटर्निंग आफिसर यूनिटों को अपनी सील से तथा ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, जो वहां मौजूद हैं, जो उन पर अपनी सीलें लगा सकते हैं, की सीलों से यूनिटों को दोबारा सीलबंद करेगा ताकि यूनिट में दर्ज मतदान का परिणाम विरूपित न हो तथा यूनिट में ऐसे परिणाम की मेमोरी बनी रहे। वीवीपीएटी की पेपर पर्चियों को ऐसी रीति में सीलबंद किया जाना चाहिए जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए"।

18.2 कंट्रोल यूनिटों की उपर्युक्त पुनः सीलबंदी निम्नलिखित तरीके से की जानी चाहिएः-

(i) मतों की मतगणना पूरी होने के उपरांत ईवीएम तथा वीवीपीएटी ड्राप बाक्स में मुद्रित पेपर स्लिप युक्त वीवीपीएटी को कंट्रोल यूनिट के पॉवर पैक तथा वीवीपीएटी के पावर पैक एवम् पेपर रोल को हटाए बगैर उसी स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा।

ii. ईवीएम के परिणाम सेक्शन के बाहरी आवरण को बंद किया जाएगा और पुनः सीलबंद किया जाएगा।

iii. इस प्रकार सीलबंद किए गए कंट्रोल यूनिट को इसके बक्से (कैरिंग केस) में रख दिया जाएगा।

iv. बक्से (कैरिंग केस) में पुनः सीलबंद किया जाएगा।

v. बक्से (कैरिंग केस) के हैण्डल से एक एड्रैस टैग को मजबूती से बांधा जाएगा जिसमें निर्वाचन के ब्योरे, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान केन्द्र, जहां कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया गया था, के ब्योरे कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या और मतगणना की तारीख का उल्लेख होगा।

18.3 अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतगणना अभिकर्ताओं को भी वोटिंग मशीनों पर अपनी सीलें लगाने की अनुमति दी जाती है, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं। मतगणना अभिकर्ताओं को अभ्यर्थियों, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हें, के हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने इन मशीनों पर अपनी सीलें लगा दी हैं। इससे उनके अभ्यर्थियों को संतुष्टि होगी कि उनमें दर्ज मतों के साथ छेड़-छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है। तथापि, जहां स्वयं अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने ऐसी सील लगा दी है, वहां मतगणना अभिकर्ताओं को अपनी पृथक सीलें लगाने की जरूरत नहीं है।

परिशिष्ट ।

(पैरा 7.1)

[नियम 52 (2) देखें]

प्ररुप 18

मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति

.... निर्वाचन क्षेत्र से .... के लिए निर्वाचन।

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

मैं ....,जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में *अभ्यर्थी................. का निर्वाचन अभिकर्ता हूं/... पर मतों की गणना में हाजिर रहने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा अपने मतगणना अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करता हूं।

मतगणना अभिकर्ता का नाम	मतगणना अभिकर्ता का पता

1...................................

2...................................

3...................................

आदि

∗ अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

हम ऐसे मतगणना अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

1...................................

2...................................

3...................................

आदि

स्थान	मतगणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

तारीख ....

मतगणना अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाए)

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हम उपरिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128** द्वारा, जिसे हमने पढ़ लिया है/जो हमें पढ़कर सुना दी गई, निषिद्ध कोई बात नहीं करेंगे।

1...................................

2...................................

3...................................

मतगणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

स्थान ....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

स्थान ....

रिटर्निंग आफिसर

* जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए।

** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 --

''128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना - (1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित नहीं करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।''।

परिशिष्ट ॥

(पैरा 9.2)

[नियम 52 (41) देखें]

प्ररुप 19

मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

.... के लिए निर्वाचन

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

मैं .... ऊपरवर्णित निर्वाचन में एक अभ्यर्थी .... का निर्वाचन अभिकर्ता अपने/उसके मतगणना अभिकर्ता .... की नियुक्ति का एतद्द्वारा प्रति संहरण करता हूं।

स्थान ....

तारीख ....

....

प्रतिसंहरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

(1) .... निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा।

(2) .... निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा।

(3) .... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) .... संघ राज्य क्षेत्र) के निर्वाचक मंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(5) .... विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद।

(6) .... निर्वाचन क्षेत्र से विधान परषिद।

ध्यान दीजिए - [ ] से चिह्नित शब्द आवश्यकतानुसार छोड़ दीजिए।

परिशिष्ट III

प्ररुप 17 ग

(पैरा 13.4)

[नियम 49 ध और 56 ग(2) देखें]

भाग I रिकार्ड किए गए मतों का लेखा

क्र.सं. ....निर्वाचन क्षेत्र से ....लोक सभा/राज्य विधान सभा/संघ राज्य क्षेत्र का निर्वाचन

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम: ....

मतदान केन्द्र में प्रयोग की गई वोटिंग मशीन की पहचान संख्या
कंट्रोल यूनिट संख्या.......................
बैलटिंग यूनिट संख्या.......................
प्रिंटर (यदि उपयोग किया गया हो)

1. मतदान केन्द्र में नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाताओं की कुल संख्या जैसा कि मतदाता रजिस्टर में दर्ज की गई है (प्ररुप 17 क)
3. मतदाताओं की कुल संख्या, जिन्होंने नियम 49-ण के अधीन मत रिकार्ड नहीं करने का निर्णय लिया
4. नियम 49 ड के अधीन मतदान करने की अनुमति नही दिए गए मतदाताओं की कुल संख्या
5. नियम 49 ड क(घ) के अधीन रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या को घटाया जाना अपेक्षित-
   (क) घटाए जाने वाले मतों की कुल संख्या-
   (ख) अभ्यर्थी(यों) जिसके लिए परीक्षण मत(तों) डाला गया- ....

कुल सं.	प्ररुप 17क में निर्वाचकों की क्र.सं.

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	मतों की संख्या
	....	
	....	

6. वोटिंग मशीन में रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या
7. क्या मद 6 में दिखाए गए मतों की कुल संख्या मद 2 में दिखाए गए मतदाताओं की कुल संख्या से मद 3 के अनुसार मतों को रिकार्ड नहीं करने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या को घटाते हुए मद संख्या 4 के अनुसार मतदाताओं की संख्या को घटाते हुए (अर्थात 2-3-4) मेल खाती है अथवा कोई विसंगति पाई गई है:
8. मतदाताओं की संख्या, जिसे नियम 49 त के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किया गया हो

9. निविदत्त मतपत्र की संख्या क्र.सं. से तक

(क) उपयोग के लिए प्राप्त

(ख) निर्वाचकों को जारी

(ग) उपयोग नहीं किया गया और लौटाया गया

....

10. **पेपर सील का लेखा** **मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर**

1. उपयोग के लिए दी गई पेपर सील	कुल सं............	1. ....
	क्र.सं......से.......तक	2. ....
2. उपयोग की गई पेपर सील	कुल सं............	3. ....
3. रिटर्निंग आफिसर को लौटाई गई अप्रयुक्त पेपर सील	क्र.सं......से.......तक	4. ....
4. क्षतिग्रस्त पेपर सील, यदि कोई हो	कुल सं............	5. ....
	क्र.सं......से.......तक	6. ....
	कुल सं............	

तारीख.............................. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर.............................

स्थान................................. मतदान केन्द्र संख्या ....

भाग II

मतगणना के परिणाम

अभ्यर्थी की क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	कंट्रोल यूनिट में दिखाए गए मतों की संख्या	भाग I की मद 5 के अनुसार घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या	विधिमान्य मतों की संख्या(3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
एन	नोटा			
कुल				

क्या ऊपर दिखाए गए मतों की कुल संख्या भाग I की मद 6 में दिखाए गए मतों की कुल संख्या के साथ मेल खाती है अथवा दोनों की कुल संख्या में कोई विसंगति पाई गई है

स्थान... **मतगणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर**

तारीख..

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता के नाम	पूरा हस्ताक्षर
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

स्थान...

तारीख..